


25.10.2024:-पत्रावली आज वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र मे स्थगन जारी है। प्रार्थी उक्त स्थगन दिनांक 03.10.2023 को आगे नही चलाना चाहते। जारी स्थगन आदेश खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थी की पहचान प्रार्थी अधिवक्ता श्री मुकेश नागपाल द्वारा कि गई। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाता है। पत्रावली मूल वाद 444/2023 के साथ सलग्न रहेगा। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़